रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2001/आषाढ़ 1, 1923
No. 418] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2001/ASADHA 1, 1923

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 2001

का.आ. 583 (अ).— पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 29) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसे 'जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण' के नाम से जाना जाएगा जिसमें इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
5.	सलाहकार, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहयोग मंत्रालय	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, शहरी मामले एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
10.	निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
11.	निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	सदस्य
12.	आयुक्त (जल प्रबंधन) जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य

2. प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां तथा कार्य होंगे :-

I अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 के खण्ड (ix),(xi),(xii) और (xiii) के उल्लिखित मामलों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने तथा उपाय करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग ।

II निम्नलिखित के संबंध में एजेंसियों (सरकारी / स्थानीय निकायों / गैर - सरकारी) को दिशानिर्देश देना :-

(क) जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग संबंधी विधियों का मानकीकरण और इसके पश्चात इसके उपयोग हेतु आंकड़ा उत्पत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

(ख) सर्वोत्तम-प्रयोग पर खरा उतरने के लिए नदी/ जल निकायों की जल गुणवत्ता की बहाली के उद्देश्य से अपशिष्ट जल उचित शोधन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय करना ।

(ग) जल गुणवत्ता प्रबंधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियां चलाना

(घ) कृषि के विकास हेतु सिंचाई के लिए शोधित मलजल / ट्रेड बहिस्रावों के पुनःचक्रण/पुनःप्रयोग को बढ़ावा देना ।

(ङ) जल निकायों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना तथा इस संबंध में शुरू की गई स्कीमों / शुरू की जाने वाली स्कीमों के क्रियान्वयन को मानीटर करना तथा पुनस्वलोकन / मूल्यांकन करना ।

(च) जल गुणवत्ता संबंधी संकट के उपशमन के उद्देश्य से जल निकाले जाने तथा शोधित मलजल/ट्रेड बहिस्राव को धरती पर, नदियों तथा अन्य जल निकायों में बहाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्कीमें तैयार करना ।

(छ) नदी प्रणालियों में जलीय जीवन के निर्वाह हेतु न्यूनतम बहाव बनाए रखना ।

(ज) वर्षा जल के एकत्रीकरण को बढ़ावा देना ।

(झ) बहिस्राव शोधक की लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण नदी फैलावों पर स्व-स्वांगीकरण क्षमताओं का उपयोग करना ।

(ञ) अपशिष्ट भार आबंटन सुविधा के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों को सूचना उपलब्ध करना ।

(ट) राष्ट्रीय जल संसाधनों (भूतल जल और भू-जल दोनों) की गुणता स्थिति की समीक्षा करना और जल गुणता के सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रदूषित स्थलों (हॉट स्पॉट्स) का पता लगाना ।

(ठ) जल संसाधनों के प्रबंधन से संबद्ध मामलों के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित अथवा गठित की जाने वाले प्राधिकरणों / समितियों से अन्योन्यक्रिया ।

(ड) इस प्रकार की समितियों को सौंपे गए कार्य को समन्वित करने के लिए राज्य-स्तरीय जल गुणता समीक्षा समितियों (डब्ल्यू क्यू आर सी) का गठन/ स्थापना ।

(ढ) निजी क्षेत्रों से संबंधित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा उन्हें (समितियों को) भेजे जाने वाले भूतल और भू-जल गुणता से सम्बद्ध किसी भी पर्यावरणीय मुद्दे पर कार्रवाई करना ताकि निर्दिष्ट उपयोगों की पुष्टि के लिए गुणता को बनाए रखा जा सके ।

3. प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग किया जाएगा ।

4. प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों को आसानी से करने के लिए उसके (प्राधिकरण) द्वारा क्षेत्र विशेषज्ञ (डोमेन एक्सपर्ट) की नियुक्ति की जा सकती है ।

5. प्राधिकरण को सौंपें गए कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक प्रकोष्ट का गठन किया जाएगा ।

6. प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों से सम्बधित रिपोर्ट तीन महीने में कम से कम एक बार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाएगी ।

[फा. सं. जे-15011/8/2000-एन आर सी डी]

ए. एम. गोखले, अपर सचिव